परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

———————— संलग्न है। ————————

प्रधान / सरपंच

मोहर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :– जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 कि.मी. के निर्माण हे वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि मवाधार से चामक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 कि. के निर्माण के अन्तर्गत पड़ने वाली नाप भूमि, वन पंचायत भूमि पर हमारी ग्राम सभा क कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वॉछित वन पंचायत भूमि 1. हे0 शीघ्र याचक विभाग को हस्तान्तरित करने की कृपा करें।

प्रधान ग्राम पंचायत चामक
वि० ख० अगस्त्यमुनि

Photo copy Attested.

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना की लम्बाई--चौड़ाई का प्रमाण--पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु वन भूमि की लम्बाई 2000 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर , 14000 वर्ग मीटर अर्थात 1.400 हे0 है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु दो समरेखण पर विचार किया गया। समरेखण संख्या 1 स्थायित्व भू–गर्भीय एवं कम पेड आने व स्थानीय जनता के सहमत होने के कारण उचित पाया गया। जो कि प्रस्तावित है तथा संरेखण नं0 2 जो [illegible] रंग से दर्शाया गया है पर वन भूमि अधिक आने, पेडों की अधिकता व ग्राम वासियों की असहमति के कारण निरस्त किया गया। इस हेतु अस्वीकृत किया गया।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

<u>भू–वैज्ञानिक/ जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक/जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों/शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made
(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.
(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी० (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	कोड	जनसंख्या
चामक	00247700	330
	कुल –	330

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु 0.910 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के एवज में दुगने अवनत वन क्षेत्र अर्थात 1.820 हे0 में देय क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उनकी मांग के अनुसार ग्राम्य विकास विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.910 हे0 वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये 6.00 लाख प्रति हे0 है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रू0 1.89 लाख होता है तथा वार्षिक लीज रेन्ट / प्रतिशत की दर से / रू0 होता है।

प्रति हस्ताक्षरित

राजस्व उपनिरीक्षक	तहसीलदार रूद्रप्रयाग तहसील रुद्रप्रयाग जनपद रुद्रप्रयाग	उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग	जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग

मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर--रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही हांगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10--2--82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पडने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू--संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन / सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि .... वर्षो की लीज पर ली जा रही है।

————लागू नहीं है। ————

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी० (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनाएं

मार्ग / सेतु की लम्बाई		--	2.00 किमी०
मार्ग में पड़ने वाले ग्राम		--	आबादी
चामक	00247700	--	333
		कुल –	333

मार्ग / सेतु के प्रारम्भिक बिन्दु के अक्षांश :– 30° 20' 23.527" उ0

देशान्तर :– 79° 1' 18.992" पू0

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

भू–संरक्षण का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग निर्माण के दौरान भू–वैज्ञानिक द्वारा बताये गये भू–संरक्षण के उपायों का अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग निर्माण में पड़ने वाले आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का पातन ही किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0 लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग।

विस्फोटकों के उपयोग का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सड़क निर्माण के लिए विस्फोटकों का उपयोग किया जायेगा।

विस्फोटकों के उपयोग का स्थान–

किमी0 1	–	हेमी0 8–10
किमी0 2	–	हेमी0 4–6

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण ग्राम सभा चामक की सिविल सोयम भूमि में किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वृक्षारोपण कार्य योजना प्रमाण पत्र

आज दिनांक 30.12.2010 को ग्राम सभा चामक की बैठक में सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 1.820 हैक्टेयर वृक्षारोपण चामक सिविल क्षेत्र में किया जायेगा। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित।

प्रधान / सरपंच
ग्राम सभा
....

ग्राम पंचायत चामक
ह0.. रेखा चमोली
दि0.. ...
वि0 ख0- अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण--पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :	जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग, लम्बाई 2.00 किमी0 (7 मीटर चौड़ाई में) के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग